प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 08.07.2026

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा ऑटो में गौमांस ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना भोगनीपुर पर वादी श्री अन्शू द्विवेदी पुत्र सन्जू द्विवेदी निवासी शास्त्री नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 14.05.2026 दोपहर 01.00 बजे वादी को एक ऑटो में कुछ लोगों द्वारा गौमांस रखकर बेचने ले जाने की सूचना मिलने पर वादी द्वारा उक्त ऑटो को मुगल रोड से अमरौधा को जाने वाले रोड़ पर गौरी रज्जन गांव के पास ऑटो रोकने के लिए कहने परन्तु चालक द्वारा ऑटो न रोककर वादी के ऊपर गाडी चढाने की कोशिश करना जिससे वादी घायल हो जाना तथा कुछ कार्यकर्ताओं के आ जाने पर ऑटो रुकवा लेना तथा अभियुक्त मौके से भाग जाना तथा ऑटो मे रखा हुआ मांस बरामद होने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 14.05.2026 को मु0अ0सं0 164/2026 धारा 281/125(A) बीएनएस व 11(1)(ठ)पशु क्रूरता अधिनियम बनाम वाहन सं0 अज्ञात नाम-पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 07.07.2026 को धारा 11(1)(ठ)पशु क्रूरता अधिनियम के स्थान पर धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त आरिफ पुत्र रफीक निवासी ग्राम हैदरपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 48 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.07.2026 को वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र रफीक निवासी ग्राम हैदरपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 48 वर्ष को हांसेमऊ राइस मील के सामने मेन रोड पर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ - अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि ऑटो नं0 यूपी 77 एटी 9578 मेरा है। मैं अपना ऑटो खुद चलाता हूँ। मैं उस दिन अपने ऑटो में माँस लेकर बेचने के लिये अमरौधा जा रहा था कि कुछ लोगों द्वारा पकड लिया गया था। यह काम मैं कभी-कभी कर लेता हूँ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

1. आरिफ पुत्र रफीक नि0 ग्राम हैदरपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 48 वर्ष

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 164/2026 धारा 281/125 ए बीएनएस व 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह,
2. उ0नि0 अमित पोरवाल चौकी प्रभारी अमरौधा,
3. हे0का0 608 राजीव कुमार,
4. का0 470 भीमसेन चौकी अमरौधा,
5. का0 536 रामआधार चौकी अमरौधा,